न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-131RAAJodhpur2025-62RTA223 Champaram urf Champalal Vs Usha etc

चम्पालाल उर्फ चम्पाराम पुत्र श्री कोजाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम गोपासरिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. *उषा पत्नी श्री हनुमान प्रसाद जाति जटिया, निवासी- तिंवरी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।*
2. *भींयाराम पुत्र श्री फुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम भैंसेर कोटवाली, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।*
3. *मुकेश पुत्र श्री बींजाराम, जाति जटिया. निवासी ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।*
4. *राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।*

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2025 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 28/2021 मुकेश बनाम उषा इत्यादि

उपस्थित-

श्री शिवलाल़, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 28/2021 अनवान मुकेश बनाम उषा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 मार्च 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 1.7401 हैक्टेयर वाके ग्राम गोपासरिया तहसील तिंवरी के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया, जिसके विरुद्ध अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 18 जनवरी 2024 के जरिये स्वीकार की जाकर मामला इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि विचारण न्यायालय वादी द्वारा वांछित अनुतोष बाबत विधिवत तनकी कायम कर उस पर पक्षकारान् को सुनवई का समुचित अवसर प्रदान कर समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष सहित मूल वाद का निस्तारण करे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05 मार्च 2025 को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुन दर्ज होने एवं पुनः सुनवाई होने के सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो नोटिस जारी किया गया और न ही किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये और बिना किसी भी प्रकार की साक्ष्य लिये अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, जो प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने से पूर्व न तो किसी भी

प्रकार की साक्ष्य ली गई और न ही प्रतिवादी संख्या 02 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रकरण में विधिवत तनकी कायम की जाकर पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष सहित मूल वाद का निस्तारण किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह तथ्य अंकित किया हुआ है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की गई, जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 न तो मूल खातेदार है और न ही मूल खातेदार के द्वारा इसके सम्बंध में कोई सहमति दी गई। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 की सहमति मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री पारित की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल प्रकरण का निस्तारण करने के उद्देश्य से ही मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा क्रेता तुलसाराम को भूमि विक्रय की गई थी। तुलसाराम द्वारा भूमि आगे भींयाराम को बेचान की गई तथा भींयाराम ने भूमि का आगे उषा एवं मुकेश को बेचान करते वक्त वादग्रस्त आराजी का पड़ौस दर्शाते हुए वादग्रस्त आराजी के बेचान किये गये हिस्से को मुख्य सड़क पर बता दिया, जबकि अपीलांट द्वारा मुख्य सड़क की भूमि का बेचान ही नहीं किया गया। बेचानकर्ताओं द्वारा अपनी सुविधा अनुसार नवीन पड़ौस अंकित करते हुए पुरानी रजिस्ट्री में अंकित पड़ौस को बदल दिया गया जो विधि मान्य नहीं है।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि उसके द्वारा भूमि बेचान वक्त दर्शाये गये पड़ौस अनुसार विभाजन किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2025 को अपास्त फरमाया जावे

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अदालत हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान्/अपीलांट को सूचना बाबत सम्मन जारी किये बिना तथा उसे साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा मामले में विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना केवल वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति बताते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

अपीलांट की ओर से अपील स्तर पर प्रस्तुत रजिस्ट्री की प्रतियों के मुताबिक अपीलांट चम्पाराम द्वारा दिनांक 10.3.2008 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 150 रकबा 10.15 बीघा में अपने नाम दर्ज 1/2 हिस्सें में सें 1/7 वा हिस्सा(15 बिस्वा) क्रेता भींयाराम को बेचान करते वक्त उक्त भूमि गांव आबादी एवं मुख्य सड़क से दूर बतायी गई है। तुलछाराम द्वारा पुनः दिनांक 12.09.2011 को क्रेता भींयाराम पुत्र फुलाराम/रेस्पो. संख्या दो को वादग्रस्त आराजी का बेचान किया जाना प्रकट होता है, जिसमें भी उक्त बेचान की गई जमीन को सड़क एवं आबादी से दूर बताया गया है। रेस्पोडेंट संख्या दो भींयाराम द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.01.2025 के जरिये उक्त भूमि पुनः आगे क्रेता मुकेश/रेस्पो. संख्या तीन को बेचान करते वक्त बिना कोई आधार वादग्रस्त आराजी के बेचान किये गये हिस्से को मुख्य सड़क पर स्थित होना बताया गया है, जिसका कोई आधार नहीं है। अपीलांट

द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 1 को बेचान की गई भूमि रकबा 01 बीघा का पड़ौ औसियां से तिंवरी जाने वाली ग्रामीण सड़क बतायी गई है। अपीलांट द्वारा दौराने अपील यह निवेदन किया गया है कि पंजीबद्ध विक्रय विलेख में दर्शित हदूदों अनुसार विभाजन किया जाता है तो वह विभाजन हेतु सहमत है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार है। रेस्पोडेंट संख्या तीन पूर्व पंजीबद्ध बेचाननामों में वादग्रस्त आराजी की दर्शित हदूदो से पाबंद है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध बेचाननामों पर गौर किये बिना, अदालत हाजा के निर्देशों की पालना किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 28/2021 अनवान मुकेश बनाम उषा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 मार्च 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह अदालत हाजा के पूर्व निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर